सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 130 राँची, गुरुवार

3 पौष, 1937 (श०)

24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-412/2014 का०- 9096--उपायुक्त, राँची के पत्रांक-336/स०क०, दिनांक 16 मार्च, 2013 तथा पत्रांक-518/स०क०, दिनांक-29 मई, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3708, दिनांक 3 मई, 2013, पत्रांक-5233, दिनांक 17 जून, 2013 एवं अधिसूचना सं०-7/vi- vi-pa-27/2002.3371, दिनांक-18 जून, 2003

श्रीमती मोनी कुमारी, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- धनबाद) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लापुंग, राँची की कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, राँची के पत्रांक-336/स०क०, दिनांक 16 मार्च, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. लापुंग प्रखण्ड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र महुवाटोली(डिम्बा) में दिनांक 14 सितम्बर, 2009 को आंगनबाड़ी सेविका का चयन का तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लापुंग द्वारा अनुमोदन हेतु गलत अनुशंसा कर चयन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

I. आंगनबाड़ी केंद्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है, परंतु पिछड़ी जाति की महिला का चयन किया गया ।

II. सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम योग्यता नन-मैट्रिक, परंतु आठवाँ पास महिला का चयन हेतु अनुमोदन भेजा गया। शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए अनुशंसा का प्रावधान है, परंतु छूट देने संबंधी प्रावधान का उल्लेख प्रस्ताव में नहीं किया गया।

III. आवेदिका पोषक क्षेत्र की नहीं रहने के बावजूद आवेदिका का चयन अनुमोदित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2. सचिव, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-585, दिनांक 2 जून, 2006 में निर्धारित सेविका एवं सहायिका के चयन से संबंधित मापदण्डों एवं अर्हता का उल्लंघन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लापुंग द्वारा किया गया। प्रासंगिक पत्र में सेविका एवं सहायिका के चयन के लिए गठित चयन दल के अध्यक्ष बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं तथा चयन प्रक्रिया में निर्धारित मापदंड के उल्लंघन की कोई शिकायत या गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए चयन दल के प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे । विभागीय पत्रांक-585, दिनांक 2 जून, 2006 का अनुपालन नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3708, दिनांक 3 मई, 2013 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्र, दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्वत् तथ्य दिये गये हैं-

आरोप सं0-1 पर स्पष्टीकरण-

I. तत्कालीन परिस्थितियाँ, क्षेत्र की आवश्यकता, जनता की आवाज एवं समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-585, दिनांक-02 जून, 2006 में निहित प्रावधान की कंडिका-11 (क) के निर्देशानुसार सचिव, पर्यवेक्षक एवं कोषाध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर योग्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा दावा नहीं प्रस्तुत करने पर पत्रांक-585 की कंडिका-7(छ) के अनुसार पिछड़े वर्ग की महिला के चयन का प्रस्ताव ग्राम सभा के द्वारा किया गया, जिस पर मेरी सहमति हुई, अनुमोदन के लिए भेजा गया।

II. चूँकि चयनित उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत नहीं आ रही थी, इसलिए पत्रांक-585 की कंडिका-7 (क) के निर्देशानुसार इस बिन्दु पर अंतिम निर्णय उपायुक्त महोदय को ही लेना था, इसलिए उक्त प्रस्ताव को उपायुक्त के अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया ।

III. चूँकि तत्कालीन पयवेक्षिका के द्वारा भूलवश अंकित कर दिया गया कि आवेदिका पोषक क्षेत्र की नहीं है, जो हस्ताक्षर करते समय मुझसे भी overlook हो गया। परंतु निर्देशानुसार एवं नियमानुसार चयनित उम्मीदवार पोषक क्षेत्र की ही थी, जैसा कि उसी अग्रसारण प्रतिवेदन में ही उनका पता ग्राम-डिम्बा, प्रखण्ड-लापुंग लिखा गया है, जो पोषक क्षेत्र के अंतर्गत है । अतः पर्यवेक्षिका द्वारा "पोषक क्षेत्र की नहीं है" लिखना slip of pen है ।

<u>आरोप सं०-2 पर स्पष्टीकरण</u>- सारे कार्य पत्रांक-585 के निर्देश के अनुसार ही संपादित हुए हैं। इसलिए निदेश का उल्लंघन नहीं है ।

विभागीय पत्रांक-5233, दिनांक 17 जून, 2013 द्वारा श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति उपायुक्त, राँची को भेजते हुए अपनी अनुशंसा सहित मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-518/स०क०, दिनांक 29 मई, 2014 द्वारा मंतव्य-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पद एक उत्तरदायित्व का पद है । उनके द्वारा अनेक प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी तथा

महत्त्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया जाता है । एक प्रशासनिक पदाधिकारी से इस तरह की गलती की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । श्रीमती कुमारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया एवं गलती की गयी। इन पर समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जा सकती है ।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। योजना के क्रियान्वयन में विभागीय निदेशों का उल्लंघन कर्मी के लापरवाही का द्योतक है तथा उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह सरकारी कर्मियों से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल है। समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय परीक्षा नियमावली भाग-II (अधिसूचना सं०-7/vi-vi-pa-27/2002-3371, दिनांक-18 जून, 2003) के नियम-23(c) के आलोक में श्रीमती मोनी कुमारी द्वारा सेवा-संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से अगले दो वर्षों तक इनकी सेवा-संपुष्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती मोनी कुमारी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 130—50 ।